

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा  
पीठासीन अधिकारी:—श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—82/2017 (2017/00238) वादपत्र

अनवान

1. प्यारा पिता मियाराम कुमावत निवासी थला, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. कस्तुर पिता मियाराम कुमावत निवासी थला, मृतक के बजाय
- 2/1. बस्तीराम पिता कस्तुर कुमावत निवासी थला, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 2/2. सुखी पुत्री कस्तुर कुमावत निवासी थला, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 2/3. पानी पुत्री कस्तुर कुमावत निवासी थला, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 2/4. कमला पुत्री कस्तुर कुमावत निवासी थला, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 2/5. गणेश पिता कस्तुर कुमावत निवासी थला, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 2/6. नंदु पत्नि कस्तुर कुमावत निवासी थला, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. नैना पिता मियाराम कुमावत निवासी थला, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. बालु पिता मियाराम कुमावत निवासी थला, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1. भैरु पिता रघुनाथ कुमावत निवासी थला, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. देवा पिता चर्तुभुज कुमावत निवासी थला, मृतक के बजाय
- 2/1. नंगजी पिता देवा कुमावत निवासी थला, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 2/2. डालु पिता देवा कुमावत निवासी थला, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 2/3. रामलाल पिता देवा कुमावत निवासी थला, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. लैण्ड होल्डर सा0 जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतीवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. जाकिर हुसैन—

वादीगण अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 10.11.2021

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि इस न्यायालय के पूर्व आदेश दिनांक 05.10.2021 के द्वारा वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम थला तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के शामिलती खातेदारी कृषि आराजियात खाता संख्या 268 में अकिंत आराजी संख्या 448 रकबा 0.01 है0, आराजी संख्या 1272 रकबा 0.15 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.16 है0 भूमि में वादीगण का संयुक्त रूप से 1/2 हिस्से का, एवं ग्राम थला के खाता संख्या 268 में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के संयुक्त स्वामित्व की आराजियात संख्या 229 रकबा 0.66 है0 भूमि में वादीगण का संयुक्त रूप से 1/4 हिस्से का मौके पर कब्जे एवं हिस्से को ध्यान में

रखते हुए बाई मीट्स एण्ड बोण्ड्स के आधार पर विभाजन हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की गई एवं तहसीलदार रायपुर से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने का आदेश दिया गया था।

तहसीलदार रायपुर द्वारा दिनांक 10.11.2021 को विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का जारी डिक्री एवं रेकार्ड आफ राईट्स जमाबन्दी से मिलान किया गया और वादी अधिवक्ता को प्रस्ताव अवलोकन कराया जिस पर वादी अधिवक्ता विभाजन प्रस्ताव से सहमत हैं। उपरोक्त विवरण अनुसार प्राथमिक डिक्री की पालना में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

### आदेश

अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादी के पक्ष में विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम थला तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे प्रस्तावित आराजी संख्या 229/2 रकबा 0.1650 है0, आराजी संख्या 1272/2 रकबा 0.0700 है0 कुल कित्ता 2 कुल रकबा 0.2350 है0 भूमि प्यारा नेना बालु पुत्र मियाराम 3/4 बस्तीमल गणेशलाल पुत्र कस्तुर सुखी पानी कमला पुत्रीया कस्तुर नन्दुदेवी पत्नि कस्तुर 1/4 कुमावत खातेदार तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 229/1 रकबा 0.1650 है0, आराजी संख्या 1272/1 रकबा 0.0700 है0 कुल कित्ता 2 कुल रकबा 0.2350 है0 भूमि भैरु पुत्र रुघनाथ कुमावत खातेदार एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 229/3 रकबा 0.3300 है0 भूमि नंगजी डालु रामलाल पुत्र देवा रूकमण राधा बाली पुत्रीया देवा कुमावत तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 448 रकबा 0.0100 है0 भूमि शामलाती बदस्तुर रखते हुए रेकार्ड कायम किया जावे। इसी अनुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 10.11.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



*(Signature)*  
10.11.2021  
(सुन्दरलाल बम्बोजा)  
सहायक कमिश्नर (जमाबन्दी अधिकारी)  
रायपुर जिला मालवाड़ा

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री  
(आदेश 20 रूल्स 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा  
पीठासीन अधिकारी:—श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—82/2017 (2017/00238) वादपत्र

अनवान

1. प्यारा पिता मियाराम कुमावत निवासी थला, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. कस्तुर पिता मियाराम कुमावत निवासी थला, मृतक के बजाय
- 2/1. बस्तीराम पिता कस्तुर कुमावत निवासी थला, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 2/2. सुखी पुत्री कस्तुर कुमावत निवासी थला, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 2/3. पानी पुत्री कस्तुर कुमावत निवासी थला, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 2/4. कमला पुत्री कस्तुर कुमावत निवासी थला, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 2/5. गणेश पिता कस्तुर कुमावत निवासी थला, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 2/6. नन्दु पत्नि कस्तुर कुमावत निवासी थला, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. नैना पिता मियाराम कुमावत निवासी थला, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. बालु पिता मियाराम कुमावत निवासी थला, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1. भैरु पिता रघुनाथ कुमावत निवासी थला, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. देवा पिता चर्तुभुज कुमावत निवासी थला, मृतक के बजाय
- 2/1. नंगजी पिता देवा कुमावत निवासी थला, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 2/2. डालु पिता देवा कुमावत निवासी थला, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 2/3. रामलाल पिता देवा कुमावत निवासी थला, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. लैण्ड होल्डर सा0 जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतीवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्तु इन फिसान कतई रूबरु हमारे बहाजरी वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादी के पक्ष मे विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम थला तहसील रायपुर के बैरुन हल्का आबादी मे प्रस्तावित आराजी संख्या 229/2 रकबा 0.1650 है0, आराजी संख्या 1272/2 रकबा 0.0700 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.2350 है0 भूमि प्यारा नेना बालु पुत्र मियाराम 3/4 बस्तीमल गणेशलाल पुत्र कस्तुर सुखी पानी कमला पुत्रीया कस्तुर नन्दुदेवी पत्नि कस्तुर 1/4 कुमावत खातेदार तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 229/1 रकबा 0.1650 है0, आराजी संख्या 1272/1 रकबा 0.0700 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.2350 है0 भूमि भैरु पुत्र रूघनाथ कुमावत खातेदार एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 229/3 रकबा 0.3300 है0 भूमि नंगजी डालु रामलाल पुत्र देवा रूकमण राधा बाली पुत्रीया देवा कुमावत तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 448 रकबा 0.0100 है0 भूमि शामलाती बदस्तुर रखते हुए रेकार्ड कायम किया जावे।

वाद में डिक्री आज दिनांक 10.11.2021 को न्यायालय मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।



(सुन्दरलाल बम्बोडा)

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)  
रायपुर, भीलवाड़ा